निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 32/2025
दायरा दिनांकः–23.04.2025
निर्णय दिनांकः– 4.11.25

उनवान

1. अमरलाल आयु 75 साल पुत्र रतनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चावलखेडी तहसील छबडा जिला बांरा (राज0)
2. सत्यानारायण आयु 52 साल पुत्र रामचरण
3. लालचन्द आयु 49 साल पुत्र रामचरण
4. किशनगोपाल आयु 47 साल पुत्र रामचरण जातियान धाकड निवासीगण ग्राम चावलखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः–4.11.25

अभिभाषक उपस्थितः– 1. श्री रामनिवास वैष्णाव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136, एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण क्रमांक 1 के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या नया 9 पुराना 8 खसरा नम्बर 309/1 रकबा 1.2645 है0 वाके माल चावलखेडी तहसील छबडा एवं प्रार्थीगण क्रमांक 2 ता 4 के शामलाती खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त में खाता संख्या नया 107 पुराना 104 खसरा नम्बर 309/2 रकबा 1.5174 है0 वाके माल चावलखेडी तहसील में स्थित है। नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग है। प्रार्थी क्रमांक 1 मौके पर खसरा नम्बर 309/2 रकबा 1.5174 है0 वाके माल चावलखेडी तहसील छबडा में काबिज है जबकि नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी में राजस्व विभाग के कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही व गलती के कारण वादी के नाम खसरा नम्बर 309/1 रकबा 1.2645 है0 जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में दर्ज अमल दरामद कर दिया गया इसलिए नक्शा में तरमीम कर उक्त खसरा नम्बर 309/1 रकबा 1.2645 है0 दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी क्रमांक 1 के नाम खसरा नम्बर 309/2 रकबा 1.5174 है0 राजस्व रिकार्ड में तरमीम कर दर्ज अमल दरामद किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। इसी प्रकार प्रार्थीगण क्रमांक 2 ता 4 मौके पर खसरा नम्बर 309/1 रकबा 1.2645 है0 वाके माल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी मे राजस्व विभाग के कर्मचारीयो की गफलत व लापरवाही व गलती के कारण वादी के नाम ख0नं0 309/1 रकबा 1.2645 हैक्टयर जमाबन्दी व नक्शा ट्रैस मे दर्ज अमल दरामद कर दिया गया इसीलिए नक्शा मे तरमीम कर उक्त ख0नं0 309/1 रकबा 1,2645 है0

लखेडी तहसील छबडा में काबिज है जब कि नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी में राजस्व विभाग के कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही व गलती के कारण वादी के नाम खसरा नम्बर 309/2 रकबा 1.5174 है0 जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में दर्ज अमल दरामद कर दिया गया इसलिए नक्शा में तरमीम कर उक्त खसरा नम्बर 309/2 रकबा 1.5174 है0 दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी क्रमांक 2 ता 4 के नाम खसरा नम्बर 309/1 रकबा 1.2645 है0 वाके माल चावलखेडी तहसील छबडा में स्थित भूमि राजस्व रिकार्ड नक्शे में तरमीम कर दर्ज अमल दरामद किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रार्थीगण सभी की आपसी सहमति है कि आपस में उक्त खसरा नम्बरान नक्शा ट्रेस मं तरमीम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में सहमति से उक्त खसरा नम्बरान मद नम्बर 2 में दर्शाये गये के अनुसार दर्ज अमल दरामद किया जाना नितान्त आवश्यक है क्योकि आये दिन वादीगण के मध्य आपस में इस बाबत् कहासुनी होती रहती है। दिनांक 11.04.2024 को प्रार्थीगण उक्त नक्शा ट्रेस तरमीम करने के लिए निवेदन करने गये तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया व कहा कि आप लोग इसका प्रार्थना पत्र एस0डी0ओ0 साहब की अदालत में पेश करों। यदि उक्त खसरा नम्बरान दुरुस्त व नक्शे में तरमीम कर सही नही हुये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी प्रार्थीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पडेगा।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पैरोकार को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से जवाब/रिपोर्ट प्राप्त जो शा.मि. है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 107 नकल नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 309/2 नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 9 नकल नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 309/1 नकल विक्रय पत्र दिनांक 11.05.2007 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया वकील प्रार्थीगण का कथन है कि खसरा नम्बर 309/1 रकबा 1.2645 है0 प्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी में है एवं खसरा नम्बर 309/2 रकबा 1.5174 है0 प्रार्थी क्रम 2 ता 4 के खातेदारी में है प्रार्थी क्रम 1 अमरलाल मौके पर खसरा नम्बर 309/2 पर काबिज है जबकि नक्शा ट्रेस सहवन से खसरा नम्बर 309/1 दर्ज कर अमल दरामद कर दिया है खसरा नम्बर 309/1 को प्रार्थी क्रम 1 अमरलाल के नाम खसरा नम्बर 309/2 नक्शे में दर्ज किया जावें। तथा प्रार्थी क्रम 2 ता 4 मौके पर खसरा नम्बर 309/1 पर काबिज है। सहवन से खसरा नम्बर 309/1 के स्थान पर 309/2 दर्ज हो गया है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है प्रार्थी क्रम 1 अमरलाल को खसरा नम्बर 309/2 एवं प्रार्थी क्रम 2 ता 4 को खसरा नम्बर 309/1 नक्शा ट्रेस में दुरुस्त किया जावे। नक्शा ट्रेस में गलती होने के कारण आपस में प्रार्थीगण के मध्य विवाद रहता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार नक्शा में खसरा नम्बर दुरुस्त किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 9 खसरा नम्बर 309/1 रकबा 1.2645 है0 भूमि में खातेदार अमरलाल पुत्र रतनलाल जाति धाकड सा0देह एवं खाता संख्या 107 खसरा नम्बर 309/2 रकबा 1.5174 है0 में खातेदार सत्यनारायण हिस्सा 1/3 लालचन्द हिस्सा 1/3 किशनगोपाल हिस्सा 1/3 जाति धाकड सा0देह के नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी मे राजस्व विभाग के कर्मचारीयो की गफलत व लापरवाही व गलती के कारण वादी के नाम ख0नं0 309/1 रकबा 1.2645 हैक्टयर जमाबन्दी व नक्शा ट्रैस मे दर्ज अमल दरामद कर दिया गया इसीलिए नक्शा मे तरमीम कर उक्त ख0नं0 309/1 रकबा 1.2645 है0

...र्ड है उक्त प्रकरण में तरमीम दुरूस्ती हेतु खसरा नम्बर 309/1, 309/2 उक्त ...राजी भूमि का मौका देख गया रिकार्ड व मौका स्थिति की रिपोर्ट इस प्रकार है जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 की खाता संख्या 7 के खसरा नम्बर 309/1 रकबा 15 बीघा भूमि में खातेदार अमरलाल पुत्र रतनलाल द्वारा नामान्तरण संख्या 538 दिनांक 13.07.2007 में जर्ये रजिस्ट्री से 15 बीघा भूमि में से 6.00 बीघा भूमि सत्यनारायण, लालचन्द, किशनगोपाल पुत्र रामचरण जाति धाकड को बेचान से दर्ज करने का आदेश हुआ परन्तु रिकार्ड नामान्तरण संख्या 538 में तरमीम कोई दिशा व नजरी नक्शा नही बना हुआ है शेष 9.00 बीघा भूमि में से 4 बीघा भूमि उत्तर दिशा की जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से मुन्नी बाई पत्नि रामस्वरूप जाति मीणा सा0 निपानिया को बेचान कर दिया जिसका नाम नामान्तरण संख्या 541 दिनांक 11.12.2007 से खातेदार दर्ज करने का आदेश हुआ एवं शेष भूमि 5.00 बीघा भूमि में अरमलाल पुत्र रतनलाल जाति धाकड का नाम दर्ज आ रहा है। मौके पर खातेदार अमरलाल पुत्र रतनलाल जाति धाकड खसरा नम्बर 309/1 रकबा 1.2645 है भूमि के स्थान पर खसरा नम्बर 309/2 पर बैठा हुआ है। व खातेदार सत्यनारायण, लालचन्द, किशनगोपाल पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड खसरा नम्बर 309/2 रकबा 1.5174 है0 भूमि पर न बैठकर खसरा नम्बर 309/1 पर बैठे हुए है प्रकरण तरमीम दुरूस्ती हेतु अनुशंषा की है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 107 में प्रार्थी क्रम 2 ता 4 का नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 9 के खसरा नम्बर 309/1 रकबा 1.2645 है0 प्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है प्रस्तुत नकल विक्रय पत्र दिनांक 11.05.2007 से खातेदार अमरलाल द्वारा खसरा नम्ब र 309 मिम 1 रकबा 15 बीघा में से 6 बीघा भूमि सत्यनारायण,लालचन्द,किशनगोपाल पुत्र रामचरण जाति धाकड को बेचान किया जाना पया जाता है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 309/2 प्रार्थी क्रम 1 के नाम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 309/1 प्रार्थी क्रम 2 ता 4 के नाम दर्ज है प्रार्थी क्रम 1 के नाम खसरा नम्बर 309/1 के स्थान पर 309/2 एवं प्रार्थी क्रम 2 ता 4 को 309/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 309/1 दर्ज कर नक्शा दुरूस्त करवाना चाहते है यह विचारणीय है कि यह प्रकरण नक्सा दुरुस्त करने मात्र का ना होकर भूमि का आदान–प्रदान करने का है (change of land) जो प्रार्थी सुसंगत धाराओं का वाद/प्रार्थना पत्र दायर कर राहत प्राप्त कर सकता है। धारा 136 एलआर एक्ट के तहत चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी मे राजस्व विभाग के कर्मचारीयो की गफलत व लापरवाही व गलती के कारण वादी के नाम ख0नं0 309/1 रकबा 1.2645 हैक्टयर जमाबन्दी व नक्शा ट्रैस मे दर्ज अमल दरामद कर दिया गया इसीलिए नक्शा मे तरमीम कर उक्त ख0नं0 309/1 रकबा 1,2645 है0

सत्यप्रकाश